

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) चितलवाना  
पीठासीन अधिकारी - हनुमाना राम आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 145/2014

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. बाबूलाल पुत्र साजनराम		1. स्व. धुडाराम पुत्र दोलाराम
2. स्व. भाखराराम पुत्र साजन के कायम मुकाम		के कायम मुकाम
अ. सुरेश कुमार पुत्र भाखराराम		अ. धर्माराम पुत्र धुडाराम
ब. तुलसीदेवी बैवा भाखराराम		ब. जयकिशन पुत्र धुडाराम
स. पपूदेवी पुत्री भाखराराम		स. उदाराम पुत्र धुडाराम
द. विमला पुत्री भाखराराम		द. अर्जुनराम पुत्र धुडाराम
य. परमेश्वरी पुत्री भाखराराम		2 हरिराम पुत्र घमडाराम
जातियान विश्‍नोई निवासीगण डूंगरी		3 भागीरथराम पुत्र घमडाराम
तहसील चितलवाना जिला सांचौर		जातियान विश्‍नोई निवासी डूंगरी
		तहसील चितलवाना जिला सांचौर
		4 राजस्थान सरकार जरिये
		तहसीलदार चितलवाना
		5 कार्यक्रम अधिकारी
		राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना सांचौर

दावा बाबत बन्टवाड़ा एवं स्थायीनिषेधाज्ञा एवं राजस्व नक्सों में सही तरकीब करने  
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act

उपस्थित :-

- 1- वादीगण की ओर से वकील श्री बाबूलाल पालड़िया एवं प्रकाश पालड़िया।
- 2- प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री सदराम विश्‍नोई।
- 3- राजपैरोकार तहसीलदार चितलवाना।

निर्णय

दिनांक 09/02/2024

इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.01.2024 की पालना में तहसीलदार चितलवाना द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव मौके पर कब्जाकाशत एवं मिट्टस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसीलदार चितलवाना द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा का अध्ययन एवं अवलोकन किया। मू० अनिलेख निरीक्षक डूंगरी एवं हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 07.02.2024 को प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवाड़ा प्रस्ताव पेश किया, जो इस प्रकार है:-

1. वादीगण बाबूलाल पुत्र साजनराम हिस्सा 1/2 जाति विश्‍नोई निवासी डूंगरी रहन 1/2 हिस्सा पूर्ण एस बी आई सांचौर, भाखराराम पुत्र साजनराम पुत्र हिस्सा 1/2 जाति विश्‍नोई निवासी डूंगरी रहन 1/2 हिस्सा पूर्ण एस बी आई शाखा चितलवाना फौत के कायम मुकाम सुरेश कुमार पुत्र भाखराराम, तुलसीदेवी पत्नि स्व. भाखराराम, पपुदेवी, विमला, परमेश्वरी पुत्रीयां भाखराराम का हिस्सा गुलाबी रंग से दर्शाया गया है।

खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान
1155	0.01 है०	गै०मु० बेरा	0
1156	2.50 है०	चाही दो० 1.58	6.32
403 में से	0.376 है०	जाव दो० 0.92	1.38
404	0.05 है०	गै०मु०डाणी	0
405	3.65 है०	चाही दो० 1.26	5.04
		जाव दो० 2.39	3.59
05	6.586 है०	-	16.89

2. प्रतिवादीगण अर्जुनराम 1/8 उदाराम, जायकिशन 1/8, धर्माराम 1/8 धुडाराम, धर्माराम का 1/8 हिस्सा रहन यूको बैंक सांचौर, हरिराम पुत्र घमडाराम 1/4 भागीरथ पुत्र घमडाराम, भागीरथ का हिस्सा 1/4 हिस्सा रहन आर एम जी बी शाखा डूंगरी जाति विश्‍नोई निवासी डूंगरी का हिस्सा केसरीया रंग से दर्शाया गया है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर चितलवाना  
(उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना)

खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान
1157	0.04 है०	गै०मु० ढाणी	0
1158	0.29 है०	बारानी दोयम	0.15
1159 / 1442	0.17 है०	बारानी दोयम	0.09
348	1.58 है०	बारानी सोयम	0.63
348 / 1334	0.54 है०	बारानी सोयम	0.22
349	0.01 है०	गै०मु० बेरा	0.63
350	0.01 है०	गैर मुमकिन	0
351	0.02 है०	गै०मु० ढाणी	0
352	4.05 है०	चाही प्रथम 3.50	28.00
		जाव प्रथम 0.55	2.20
352 / 1355	0.82 है०	बारानी सोयम	0.33
353	0.75 है०	बारानी सोयम	0.30
400	0.01 है०	गै०मु० बेरा	0
401	0.02 है०	गै०मु०सडा	0
402	0.08 है०	गै०मु० ढाणी	0
403	4.784 है०	चाही दोयम 1.56	6.24
		जाव दोयम 3.224	4.84
<b>15</b>	<b>13.174 है०</b>	<b>-</b>	<b>43.00</b>

इसके अतिरिक्त सरकारी रास्ता खसरा संख्या 1153 की तरमीम बदल कर निर्णय अनुसार प्रस्ताव के सलंगन नक्शा में दर्शित कर सम्पूर्ण विभाजन का प्रस्ताव तहसीलदार चितलवाना ने बंटवाड़ा की अन्तिम डिक्री करने हेतु पालना रिपोर्ट पेश की।

- हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन अवलोकन किया तथा विभाजन के प्रस्ताव पर वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बंटवाड़ा के प्रस्ताव में अंकित भूमि का क्षेत्रफल, लगान व किस्म अनुसार बंटवाड़ा स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार चितलवाना द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा के प्रस्ताव दिनांक 08.02.2024 के अनुसार बंटवाड़े के प्रस्ताव संख्या 01 व 02 में वर्णित खसरा, रकबा व लगान, किस्म तथा खातेदार के नाम व नक्शे में वर्णित रंग अनुसार बंटवाड़ा का प्रस्ताव स्वीकार करने के आदेश दिया जाता है। साथ ही राजस्व रिकॉर्ड (नक्शा) में दर्ज रास्ता को वर्तमान स्थिति से हटाकर वादीगण के खाते में दर्ज किया जावे एवं बंटवाड़ा प्रस्ताव के सलंगन नक्शे में काले रंग से दर्शाये स्थान पर रास्ता तरमीम कर वादीगण के खाते से रास्ता प्रयोजनार्थ भूमि कम की जावे। उक्तानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं। संबंधित बैंक रहन खातेदार के खाते में यथावत रहेगा। वादीगण के कब्जाकाशत, उपयोग उपभोग, बंट, हिस्से में प्रस्ताव अनुसार भूमि में न तो प्रतिवादीगण स्वयं एवं न ही किसी अन्य से किसी प्रकार की दखलन्दाजी करे अथवा करावे। डिक्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करे।



(हनुमानाराम)

साहायक कलेक्टर  
महोदय, कलेक्टर, चितलवाना  
चितलवाना  
( उपखण्ड अधिकारी - चितलवाना )

निर्णय आज दिनांक 09/02/2024 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।



साहायक कलेक्टर  
महोदय, कलेक्टर, चितलवाना  
चितलवाना  
( उपखण्ड अधिकारी - चितलवाना )



डिकी व मुकदमें इब्दाई  
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure code , Appendix MDN-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर(उपखण्ड अधिकारी) मुकाम चितलवाना  
इजलास - हनुमानाराम आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. बाबूलाल पुत्र साजनराम 2. स्व. भाखराराम पुत्र साजनराम के कायम मुकाम के कायम मुकाम अ. सुरेश कुमार पुत्र भाखराराम ब. तुलसीदेवी बैवा भाखराराम स. पपूदेवी पुत्री भाखराराम द. विमला पुत्री भाखराराम य. परमेश्वरी पुत्री भाखराराम जातियान विश्नोई निवासीगण डूंगरी तहसील चितलवाना जिला सांचौर		1. स्व. धुडाराम पुत्र दोलाराम अ. धर्माराम पुत्र धुडाराम ब. जयकिशन पुत्र धुडाराम स. उदाराम पुत्र धुडाराम द. अर्जुनराम पुत्र धुडाराम 2. हरिराम पुत्र घमडाराम 3. भागीरथराम पुत्र घमडाराम जातियान विश्नोई निवासी डूंगरी तहसील चितलवाना जिला सांचौर 4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चितलवाना 5 कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना सांचौर

दावा बाबत बन्टवाडा एवं स्थायीनिषेधाज्ञा एवं राजस्व नक्शे मे सही तरमीम करने

अन्तर्गत धारा 53, 88,188 R.T.Act

राजस्व वाद संख्या- 145/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वकील श्री बाबुलाल पालडिया मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 श्री सदराम विश्नोई एवं प्रतिवादी संख्या 4 तहसीलदार चितलवाना राज पैरोकार मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि बंटवाडा के अंकित भूमि का क्षेत्रफल, लगान व किस्म अनुसार बंटवाडा स्वीकार किया जाता है-

- वादीगण बाबुलाल पुत्र साजनराम हिस्सा 1/2 जाति विश्नोई निवासी डूंगरी रहन 1/2 हिस्सा पूर्ण एस बी आई सांचोर, भाखराराम पुत्र साजनराम पुत्र हिस्सा 1/2 जाति विश्नोई निवासी डूंगरी रहन 1/2 हिस्सा पूर्ण एस बी आई शाखा चितलवाना फौत के कायम मुकाम सुरेश कुमार पुत्र भाखराराम, तुलसीदेवी पत्नि स्व. भाखराराम, पपुदेवी, विमला, परमेश्वरी पुत्रीयां भाखराराम का हिस्सा गुलाबी रंग से दर्शाया गया है।

खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान
1155	0.01 है0	गै0मु0 बेरा	0
1156	2.50 है0	चाही दो0 1.58	6.32
403 में से	0.376 है0	जाव दो0 0.92	1.38
404	0.05 है0	गै0मु0ढाणी	0
405	3.65 है0	चाही दो0 1.26	5.04
		जाव दो0 2.39	3.59
05	6.586 है0	-	16.

89

- प्रतिवादीगण अर्जुनराम 1/8 उदाराम, जायकिशन 1/8, धर्माराम 1/8 पिता धुडाराम, धर्माराम का 1/8 हिस्सा रहन यूको बैंक सांचौर, हरिराम पुत्र घमडाराम 1/4 भागीरथ पुत्र घमडाराम, भागीरथ का हिस्सा 1/4 हिस्सा रहन आर एम जी बी शाखा डूंगरी जाति विश्नोई निवासी डूंगरी का हिस्सा केसरीया रंग से दर्शाया गया है।

खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान
1157	0.04 है0	गै0मु0 ढाणी	0



अज अदालत सहायक कलेक्टर - चितलवाना  
(उपखण्ड अधिकारी - चितलवाना)

1158	0.29 है०	बारानी दायम	0.15
1159 / 1442	0.17 है०	बारानी दायम	0.09
348	1.58 है०	बारानी सोयम	0.63
348 / 1334	0.54 है०	बारानी सोयम	0.22
349	0.01 है०	गै०मु० बेरा	0.63
350	0.01 है०	गैर मुमकिन	0
351	0.02 है०	गै०मु० ढाणी	0
352	4.05 है०	चाही प्रथम 3.50	28.00
		जाव प्रथम 0.55	2.20
352 / 1355	0.82 है०	बारानी सोयम	0.33
353	0.75 है०	बारानी सोयम	0.30
400	0.01 है०	गै०मु० बेरा	0
401	0.02 है०	गै०मु०सडा	0
402	0.08 है०	गै०मु० ढाणी	0
403	4.784 है०	चाही दायम 1.56	6.24
		जाव दायम 3.224	4.84
			43.00
15	13.174 है०		

उक्तानुसार बंटवाड़ा की अन्तिम डिक्री जारी हो। बंटवाड़ा के प्रस्ताव में अंकित भूमि का क्षेत्रफल, लगान व किस्म अनुसार बंटवाड़ा स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार चितलवाना द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा के प्रस्ताव दिनांक 08.02.2024 के अनुसार बंटवाड़े के प्रस्ताव संख्या 01 व 02 में वर्णित खसरा, रकबा व लगान, किस्म तथा खातेदार के नाम व नक्शे में वर्णित रंग अनुसार बंटवाड़ा का प्रस्ताव स्वीकार करने के आदेश दिया जाता है। साथ ही राजस्व रेकॉर्ड (नक्शा) में दर्ज रास्ता को वर्तमान स्थिति से हटाकर वादीगण के खाते में दर्ज किया जावे एवं बंटवाड़ा प्रस्ताव के सलंगन नक्शे में काले रंग से दर्शाये स्थान पर रास्ता तरमीम कर वादीगण के खाते से रास्ता प्रयोजनार्थ भूमि कम की जावे। उक्तानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं। संबंधित बैंक रहन खातेदार के खाते में यथावत रहेगा। वादीगण के कब्जाकाशत, उपयोग उपभोग, बंट, हिस्से में प्रस्ताव अनुसार भूमि में न तो प्रतिवादीगण स्वयं एवं न ही किसी अन्य से किसी प्रकार की दखलन्दाजी करे अथवा करावे। लीज मुबलिक बाबत पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। इस मुकदमे के मयं सूद व भारह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसुलयाबी तक को अदा करे।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09 माह 02/2024 को जारी की गई।



मोहर

सहायक कलेक्टर  
मिर्जापुर जिल्ला न्यायालय  
(उपमुख्य अधिकारी-चितलवाना)

मुदई	रूपया	पै०	मुद्दयलाह	रूपया	पै०
स्टाम्प अर्जी दावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	5	00	स्टाम्प अर्जी	11	00
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
बबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरीक		
मुतफरिकमौजाना			मौजाना	11	00
	7	00			

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हरफरीकान का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलेक्टर  
मिर्जापुर जिल्ला न्यायालय  
(उपमुख्य अधिकारी-चितलवाना)